programme has been launched which involves setting up of mechanical compost plants, gobar gas plants, and intensification of green manuring.

Considerations in fixing price of wheat

117. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state the considerations in fixing the price of wheat this year at Rs. 110 per quintal?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI PARKASH SINGH BADAL): The price of wheat during 1977-78 has been fixed at Rs. 110/- per quintal for fair average quality as a price support measure on the basis of the recommendation made by the Agricultural Prices Commission and after-consultation with the Chief Ministers of States. This-price of Rs. 110/- per quintal has been fixed taking into consideration *inter-alia* the available data on cost of production, the changes effected in prices of inputs, the production prospects the likely trend in prices and the overall economic situation in the country. Zonal restrictions on movement of wheat have also been removed and this is expected to enable the producer to get even a higher price for his produce.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुसंधान

118. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने ब्रह्माण्ड किरणों (गामा ज) केद्वारा जो [illegible] किये हैं, उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन उपलब्धियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश सिंह बादल) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने निम्नलिखित अनुसंधान कार्य के लिये गामा विकिरण का उपयोग किया है :—

(1) उन फसल पौधों की किस्मों में मात्र पैत्रिक दोषों को सुधारना जो इन दोषों के अलावा अच्छे हों। इस 'एप्रोच' का उपयोग चावल, गेहूं, बाजरा, जौ तथा कपास पर किया गया है ।

(2) फसलोत्तर रोगों का नियंत्रण गामा विकिरण तथा गर्म पानी के संयुक्त उपचार द्वारा टमाटर के फलों में फफंदी को नियंत्रित करने के लिए प्रारम्भिक अध्ययन किये गये ।

(3) भंडारों में रखे हुए अनाजों के लिए कीट व्याधियों का नियंत्रण।

(4) 'सैल्युलर' स्तर पर प्राकृतिक तथा जैव-रसायनिक म्युटंटो का उत्पादन, तथा

(5) भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर तथा इसके क्षेत्रीय केन्द्र, रावलपुरा, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर राज्य, दोनों स्थानों पर विकिरण क्षीणित 'लंग-वर्म वैक्सीन' का उत्पादन ।

(ख) फसल किस्मों के आर्थिक रूप से लाभदायक फसल चक्रों का, उनकी व्यावहारिक उपयोगिता की दृष्टि से, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान फार्मों पर बारीकी के साथ परीक्षण किया जाता है और परिणामों का सत्यापन अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार प्रायोजना के अधीन विस्तृत जांचों के माध्यम से किया जाता है । राज्यों के कृषि विभागों द्वारा भी इसकी जांच की जाती है । इन

प्रयासों के परिणामस्वरूप, कपास की दो किस्में बोने के लिए उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में जारी की गई है। इस के अतिरिक्त, रोग रोधी बाजरा की नर ऊसर संकर किस्मों का उपयोग नई-नई संकर किस्मों के बनाने के लिए किया गया है जिनकी शिनाख्त अखिल भारतीय समन्वित बाजरा सुधार प्रयोजनों की वर्कशाप द्वारा पहले ही की जा चुकी है। संबंधित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रयोजनाओं द्वारा खोली गई पद्धति के अनुसार इस से पहले कि वे किसानों तक पहुचें, गेहूं, जौ तथा चावल के उपयोगी म्यूटेंटों के आगे के परीक्षण किये जा रहे हैं।

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर तथा इसके क्षेत्रीय केन्द्र रावलपुरा, श्रीनगर (जम्मू. कश्मीर) द्वारा विकसित वेक्सीन, भेडों के लंगवर्म रोग पर नियंत्रण पाने की दृष्टि से अत्यन्त प्रभावकारी पाई गई। भूटान के पशु पालन विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य प्रजनन फार्म ऋषिकेश तथा जम्मू कश्मीर के भेड़ विभाग को अधिक मात्रा में खुराक दी गयी। वैक्सीन ने सरकारी फार्मों तथा निजी प्रजनन कर्त्ताओं दोनों स्थानों पर प्रभाव किया। इस वैक्सीन ने किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाया है।

त्रिभाषा सिद्धान्त

119. **श्री नवाब सिंह चौहान:** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिभाषा सिद्धान्त लागू करने के बारे में क्या प्रगति हुई है तथा क्या सरकार का विचार इसमें कुछ परिवर्तन करने का है ;

(ख) यदि हा, तो वह क्या है तथा उसमें कब तक परिवर्तन किया जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर): (क) और (ख) : त्रिभाषा फार्मूला मुख्यत: राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। यह फार्मूला भारत सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से तथा केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की सलाह पर, जिन्होंने भाषा के प्रश्न पर 1956 में गहराई से विचार किया था, तैयार किया गया था। अगस्त 1961 में हुई राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों की बैठक में इस फार्मूले को सरल बनाया गया और राज्यों में उसे अपनाने के लिए अपनी सहमति दी।

प्राप्त सूचना के अनुसार त्रि-भाषा फार्मूला कुछ मामलों में स्थानीय संशोधनों के साथ, तमिलनाडु, नागालैंड, मिजोरम तथा पाण्डुचेरी (पाण्डुचेरी तथा कराइकल क्षेत्र) को छोड़ कर सभी राज्यों में लागू है। तमिलनाडु राज्य विधान सभा द्वारा 1968 में पास किए गए संकल्प के फलस्वरुप द्वि-भाषा फार्मूला अपना रहा है। क्योंकि नागालैण्ड में अंग्रेजी राज भाषा है, इस लिए वहां त्रि-भाषा फार्मूला नहीं अपनाया जा रहा है। मिजोरम में हिन्दी को अध्यापन पाठ्यचर्या में शामिल करना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है। पाण्डुचेरी में (पाण्डुचेरी और कराइकल क्षेत्र) स्कूलों में तमिलनाडु पाठ्यक्रम अपनाना होता है। इसके अतिरिक्त कुछ हिन्दी भाषी राज्यों में किसी दक्षिण भारतीय भाषा को तीन भाषाओं में से एक के रूप में पढ़ाना अभी तक संभव नहीं हो सका है।